निर्णय ब–इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 40/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

खेमचन्द नावरिया पुत्र स्व. श्री नाथूलाल, जाति खटीक, निवासी 104/23, विजय पथ मानसरोवर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राकेश पुत्र श्री खेमचन्द नावरिया
2. श्रीमती हेमलता पत्नी श्री राकेश

जाति खटीक, निवासी 104/23, विजय पथ मानसरोवर, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.07.2024 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 28/2024 ब–उनवानी खेमचन्द नावरिया बनाम राकेश व अन्य

उपस्थित :–

1. श्री रमाकान्त सोयल, प्रतिनिधी प्रार्थी की और से।
2. श्री सुरेश, प्रतिनिधि प्रत्यर्थी संख्या 1 की और से।

निर्णय दिनांक 29.09.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 26/2024 ब–उनवानी खेमचन्द नावरिया बनाम राकेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री सुरेश प्रतिनिधी उपस्थित आये। तहत रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 (1),(क)(ख)(ग) एवं 5 (2) सपठित धारा–23 (2) माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया। अपीलार्थी एक वृद्ध पुरूष है तथा कई बिमारियों से ग्रसित है तथा अपीलार्थी की पत्नी भी कई रोगो से ग्रसित है। अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी वरिष्ठ नागरिक है तथा प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेशुदा एक प्लाट 104/23, विजयपथ मानसरोवर में स्थित है। उक्त सम्पति अपीलार्थी ने स्व अर्जित आय से खरीदा गया है तथा उक्त सम्पति राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा आंवटित की गई थी। जिस घर अपीलार्थी द्वारा पूर्ण रूप से निर्माण करवाया है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी के पुत्र एवं पुत्रवधु है जिनका व्यवहार अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी से अच्छा नहीं है तथा अपीलार्थी से क्रुर व्यवहार करते है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण को समझाने के भरसक प्रयास किये गये किन्तु प्रत्यर्थीगण में कोई बदलाव नहीं आया। अपीलार्थी व उसकी पत्नी को

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

परेशान करने की नियत से प्रत्यर्थीगण ने एक झूठा प्रतिवेदन पुलिस थाना महिला (दक्षिण) जयपुर में दर्ज करवाया गया। प्रतिवेदन पर अपीलार्थी को भी सुना गया एवं प्रत्यर्थीगण ने लिखित में मकान खाली कर किराये के मकान में रहने चले गये। प्रत्यर्थीगण 3 वर्ष किराये पर रहने के पश्चात अपीलार्थी से सम्पर्क किया एवं अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर हाथ जोडकर आगे से अच्छा व्यवहार करने का वादा किया। लेकिन कुछ समय पश्चात ही प्रत्यर्थीगण का व्यवहार अपीलार्थी व उसकी पत्नी के साथ बदलने लगा। प्रत्यर्थीगण आये दिन रात लडाई झगडे एवं शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे एवं किरायेदार को गाली गलौज करके कमरा खाली करवा दिया। अपीलार्थी को मजबूरन जुलाई 2021 में सिविल न्यायाधीश क्रम 17 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर में एक वाद प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी व उसकी पत्नी के साथ गाली गलौच व अपमान किया जा रहा है तथा अपीलार्थी के आवास के सामने दीवार पर काले मार्कर से अभद्र भाषा से लिखा गया है। जिसके कारण अपीलार्थी व उसकी पत्नी को समाज में बदनाम करने, मानहानि करने तथा अपमानित करने की नियत से अपीलाथी के आवास पर पोस्टर लगाकर मानहानि की जा रही है। अपीलार्थी व उसकी पत्नी को शांतिपूर्ण जीवन जीने में बाधा उत्पन्न कर रही है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगा से ही अनुतोष चाहा गया है जबकि अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश यह अंकित करते हुये खारिज कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अपने अन्य पुत्र का पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि अन्य पुत्र को पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी की स्वअर्जित सम्पति में रहकर ही अपीलार्थी का रहना दूभर कर दिया है। अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी की स्वअर्जित सम्पति से बेदखल किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी राजस्थान आवासन मण्डल के सहायक सम्पदा प्रबन्धक के उच्च पद से सेवानिवृत पेंशनर्स है। अपीलार्थी ने उक्त मकान को किराये पर भी दे रखा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के दादाजी एवं अपीलार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में नकद राशि एवं जेवरातो का बंटवारा अपने तीनो पुत्रों अपीलार्थी व उनके दो भाई के मध्य कर दिया था। अपीलार्थी के हिस्से में आई नकदी एवं गहनो के बेचकर अपीलार्थी ने प्लाट 104/23 मानसरोवर जयपुर को खरीदा था। इस प्रकार उक्त सम्पति स्व–अर्जित सम्पति नहीं होकर पुश्तैनी सम्पति है। पुश्तैनी सम्पति से प्रत्यर्थीगण को बेदखल नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण के तीन पुत्रिया है एवं वंश चलाने के लिये पुत्र संतान उत्पन्न नहीं हुई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 का दुसरा विवाह करवाना चाहते है जिससे प्रत्यर्थीगण सहमत नहीं है जिसके चलते अपीलार्थी न्यायालय की सहायता से कानूनी प्रावधानों को दुरूपयोग कर प्रत्यर्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करवाना चाहते है। अपीलार्थी ने की माताजी में कोई देवी आती है जिसने परिवादी से कहा कि प्रत्यर्थी दुसरा विवाह कर ले तो दुसरे विवाह से उसे संतान उत्पन्न होगी। उक्त अंधविश्वास के चलते अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 पर दुसरा विवाह करने के दवाव बनाकर प्रत्यर्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करने पर आमादा है। उक्त तथ्य इस बात से सावित होता है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के माता को पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को कभी भी परेशान नहीं किया गया बल्कि समय–समय पर अपीलार्थी की सेवा करते है। अपीलार्थी ने अपने बडे पुत्र मुकेश नावरिया को प्रत्यर्थी के तौर पर जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी ने अपने बडे पुत्र को सुमेर नगर में 311 वर्गगज का मकान वर्ष 2000 में दे रखा है। मुकेश नावरिया हीरे जवाहरात एवं प्रापर्टी डीलर का काम कर प्रतिमाह लाखो रूपये कमाता है और उसके पुत्र सन्तान है। प्रत्यर्थी संख्या 1

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

द्वारा उक्त मकान पर एक भी शब्द ऐसा नहीं लिखा जिससे अपीलार्थी की मानहानि या बदनामी हो। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण को बदनाम करने के लिये अपमानजनक लेख एवं जुते चप्पल बालकनी पर लटकाते है। अपीलार्थी ने घर पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगा रखे है। यदि अपीलार्थी के कथनों सत्यता होती तो सी.सी.टी.वी. की फुटेज न्यायालय के समक्ष पेश की गई होती। अपीलार्थी ने अपनी पत्नी एवं अपने बडे पुत्र को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिअनुरूप उचित है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमावे जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने बडे पुत्र को अधीनस्थ अधिकरण एवं अपीलीय अधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा भरण पोषण राशि के लिये कोई कथन अंकित नहीं किया तथा केवल मात्र प्रत्यर्थीगण को घर से बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी द्वारा सिविल न्यायाधीश क्रम 17 जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर में दीवानी विविध प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2024 से उभय पक्षकारान को ता–फैसला मूल वाद विवादित सम्पति की मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था एवं अपीलार्थी द्वारा दीवानी मूल वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 21.04.2025 को विड्रा कर लिया गया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विवादित सम्पति पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम 17 जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर को मौके की यथास्थिति बनाये जाने को आदेश पारित ता–फैसला मूल वाद पारित किया गया था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं पाते है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

7. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय को प्रेषित सहित पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को सरे इजलास सुना गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर